348

456

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा (म.प्र.)</u>

Rs301/-

R 5370-III/16

हरभूषन नाई तनय रामकिशोर नाई उम्र– 80 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– मधुरी कोठार, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) ––––– निगरानीकर्ता/आवेदक

**बनाम**

म0प्र0 शासन ––– गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा द्वारा प्रस्तुत 16.8.16

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

**निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द– द्वितीय, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 16/अ–12/2015–16 सीमांकन आदेश दिनांक– 16.06.2016 जिसके द्वारा नितान्त अवैधानिक तरीके से सीमांकन आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि की गयी है।**

**निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959**

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित निगरानी याचिका प्रस्तुत है:–

1. यह कि अधीनस्थ कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द– II, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी के कार्यालय में आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम– मधुरी कोठार, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक– 81 रकवा 0.150 है0, 82 रकवा 0.263 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमे राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आवेदित भूमि का विधिवत सीमांकन किये बिना ही सीमांकन की पुष्टि दिनांक– 16.06.2016 को कर दी गयी है जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

(348)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग05370 / II / 2016 जिला–सीधी

हरभूषण नाई / शासन म0प्र0

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 23.04.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल गिर्द द्विवतीय, तहसील गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 16 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(बी.एम.शर्मा),<br>सदस्य | |